



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072022-237370
CG-DL-E-19072022-237370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]
No. 180]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2022/आषाढ 28, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2022/ASHADHA 28, 1944

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2022

विषय: दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 हेतु दिशानिर्देश

फा. सं. 5-2/2020-राष्ट्रीय पुरस्कार.—दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण एक अंतर-अनुशासनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें रोकथाम, शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण आदि जैसे विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के खंड 24 में दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के निर्माण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम का खंड 39 अन्य बातों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के कौशल, योग्यता और क्षमता तथा कार्यबल, श्रम बाजार और व्यावसायिक शुल्क में उनके योगदान की अग्रिम मान्यता के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अधिदेशित करता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपर्युक्त प्रावधानों की भावना को ध्यान में रखते हुए, सरकार का दिव्यांगजनों के व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्यथा दिये गये योगदान/कौशल को मान्यता देते हुये, एवं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यक्तिगत, सरकारी और निजी निकायों द्वारा दिये गए योगदान को भी मान्यता देते हुये पुरस्कार प्रदान करने का प्रयोजन है।

इसलिए, ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के सरकार के प्रयोजन को प्रभावी बनाने के लिए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है, नामतः:-

- 1 (i) इन दिशानिर्देशों को "विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए दिशानिर्देश, 2021" कहा जा सकता है।
- (ii) ये दिशानिर्देश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होते हैं।
2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए दिशानिर्देश
- 2.1 (i) पुरस्कारों का विवरण और श्रेणियां

I- व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार :-

क्र. सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कारों के घटक
1.	<p>सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन</p> <p>(किसी भी क्षेत्र या गतिविधि से संबंधित अर्थात् शिक्षा / स्वास्थ्य / रोजगार / कला और संस्कृति / खेल / रचनात्मक कार्य / दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण / सामाजिक सेवा / इत्यादि - एक रोल मॉडल) -</p> <p>आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से किसी भी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए खुला है।</p>	6 (पुरुष के लिए 3 और महिला के लिए 3)	पुरस्कार का नकद घटक: प्रत्येक के लिए 2.00 लाख रुपये, प्रमाण पत्र)
2	<p>श्रेष्ठदिव्यांगजन</p> <p>क) गतिविषयक- गतिमान, पेशीय अक्षमता, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, ठीक हुआ कुछ, प्रमस्तिष्क पक्षाघात</p> <p>ख) दृष्टिबाधित-अंधापन, कम दृष्टि</p> <p>ग) श्रवण बाधित - बधिर, सुनने में कठिन, भाषण और भाषा दिव्यांगता</p> <p>घ) बौद्धिक दिव्यांगता- मानसिक मंदता, मानसिक व्यवहार, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार</p> <p>ङ) ऊपर दिए गए क्रम (क) से (घ) तक उल्लिखित अक्षमताओं को छोड़कर कोई भी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता (विकासात्मक विकार, रक्त विकार के कारण होने वाली दिव्यांगता, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, बहु दिव्यांगता)</p> <p>(रोजगार / स्वरोजगार, स्वास्थ्य / खेल, कला, संस्कृति ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत या रचनात्मक कार्य के कोई भी अन्य प्रकार, दिव्यांगजनों का</p>	10 (प्रत्येक श्रेणी में पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 1)	पुरस्कार का नकद घटक: प्रत्येक के लिए 1.00 लाख रुपये, प्रमाण पत्र)

	सशक्तिकरण)		
3.	श्रेष्ठ दिव्यांग बाल / बालिका (18 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चे) (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियां) – (कला और संस्कृति ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य इत्यादि के क्षेत्र में)	2 (बालक और बालिका प्रत्येक के लिए 1)	पुरस्कार का नकद घटक: प्रत्येक के लिए 1.00 लाख रुपये, पदक, प्रमाण पत्र)
4.	दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति	एक पुरस्कार	- एक प्रमाण पत्र, एक पदक और 1.00 लाख रु का नकद पुरस्कार:
5	दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर/कार्मिक)	एक पुरस्कार	- एक प्रमाण पत्र, एक पदक और: 1.00 लाख रु का नकद पुरस्कार
6	दिव्यांगता के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास	एक पुरस्कार	- एक प्रमाण पत्र, एक पदक और: 1.00 लाख रु का नकद पुरस्कार
इस श्रेणी में विजेता को कुल पुरस्कार नकद राशि 27 लाख रुपये, 21 पदकों सहित प्रमाण पत्र			

II) दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में कार्यरत संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या	कोई नकद घटक नहीं, (केवल शील्ड और प्रमाण पत्र)
1.	दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, एनजीओ)	2 पुरस्कार	व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 पुरस्कार समावेशी शिक्षा या उसके प्रचार के लिए 1 पुरस्कार
2.	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी संस्थान यत्तस्वा / सार्वजनिक उपक्रम / निजी क्षेत्र / निकाय)	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
3.	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी / एजेंसी (सरकारी / राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय को छोड़कर)	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
4.	सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन बाधा मुक्त / वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ राज्य / जिला / क्षेत्र	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
5.	सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन / सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (निजी / सरकारी संगठन)	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
6.	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम/ यूडीआईडी एवं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अन्य योजनाओं	2 पुरस्कार राज्य / संघ	शील्ड और प्रमाण पत्र

	के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ /राज्य क्षेत्र / जिला	राज्य क्षेत्र के लिए 1 पुरस्कार और जिला के लिए 1 पुरस्कार	
7.	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु राज्य दिव्यांगजन आयुक्त।	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
8.	पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन	1 पुरस्कार	शील्ड और प्रमाण पत्र
9.	अतिरिक्त पुरस्कार - श्रेणी (i) अथवा श्रेणी (ii) अथवा दोनों में, जैसाकि राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा उपयुक्त माना जाए।	3 पुरस्कार (केवल उपरोक्त श्रेणी (I) अर्थात व्यक्तिगत उत्कृष्टता के मामले में प्रत्येक के लिए नकद घटक 2.00 लाख रु - उप श्रेणी (1) के लिए और उप श्रेणी (2, 3, 4, 5, और 6 के लिए 1.00 लाख रु.) परन्तु श्रेणी (II) के लिए केवल शील्ड और प्रमाण पत्र)	
34 पुरस्कार विजेता, 33 लाख रूपये तक नकद घटक, और 21 व्यक्तियों को पदक और 10 संस्थानों को शील्ड			

2.2. पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने और पुरस्कार विजेताओं के चयन की प्रक्रिया:-

- पात्र उम्मीदवार या प्रतिष्ठानों या संस्थानों द्वारा उपरोक्त पैरा 2.1 में निर्धारित श्रेणियों में आवेदन गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कारों के सामान्य पोर्टल (इसके संचालन के बाद) में इन दिशानिर्देशों के अनुबंध के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन स्व-नामांकन के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। और प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता के लिए आवेदक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। विभाग आवश्यक होने पर दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकता है।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के खुलने को विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों में / विभाग की वेब साइट के साथ-साथ के आवेदन जमा करने की निर्धारित अवधि के बारे में सूचित करेगा।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति 5 साल बाद राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है

2.3 स्कीनिंग समितियों द्वारा आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग करना :-

- राष्ट्रीय पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं की लघु सूची के लिए स्कीनिंग समितियां होंगी। स्कीनिंग समितियों में निम्नलिखित में से अध्यक्ष सहित चार से पांच सदस्य होंगे:-
 - क) केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव और/या उससे ऊपर के पद के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी या प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों के अधिकारी;
 - ख) प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ या पुरस्कार के संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ;
 - ग) गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि;
 - घ) दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग या उसके अधीनस्त संगठन के उप सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारी स्कीनिंग समितियों के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

- (ii) राष्ट्रीय चयन समिति स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिश के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कार विजेताओं के नामांकन का निर्णय करेगी।
- (iii) स्क्रीनिंग समितियों के अध्यक्ष और संयोजक चयन प्रक्रिया में राष्ट्रीय चयन समिति की सहायता करेंगे।
- (iv) राष्ट्रीय चयन समिति/स्क्रीनिंग समितियों के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार में लागू वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार टीए और डीए के हकदार होंगे।
- (v) राष्ट्रीय पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत नामांकित पुरस्कार विजेताओं को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की तारीख और स्थान के बारे में डाक/टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से चयनित व्यक्तियों या संस्था के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

2.4 राष्ट्रीय चयन समिति:-

(क) पुरस्कार विजेताओं का चयन राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे: -

क्रमांक	नाम	पदनाम
i)	केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	अध्यक्ष पदेन
ii)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष पदेन
iii)	दिवांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव	सदस्य पदेन
iv)	अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग	सदस्य
v)	मुख्य आयुक्त दिवांगजन	सदस्य
vi)	भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष	सदस्य
vii)	अध्यक्ष राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	सदस्य
viii)	विशेष सचिव/अपर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
ix)	निदेशक, ललित कला अकादमी या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
x)	सीएसआईआर का प्रतिनिधि जेएस के पद से नीचे का न हो	सदस्य
xi)	डीआरडीओ के पुनर्वास विंग के प्रतिनिधि	सदस्य
xii)	पुनर्वास विभाग के विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	सदस्य
xiii)	भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि	सदस्य
xiv)	संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी दिवांगजन विभाग	संयोजक सदस्य

(ग) ऊपर लिखित राष्ट्रीय चयन समिति उपरोक्त तालिका में संदर्भित किसी भी या सभी श्रेणियों या उप-श्रेणियों में अधिक संख्या में पुरस्कार विजेताओं का चयन कर सकती है।

(घ) राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यों को दिवांगजन सशक्तिकरण विभाग आवश्यकता होने पर सह योजित कर सकता है।

(ङ) राष्ट्रीय चयन समिति का निर्णय बहुमत से होगा और दोनों पक्षों के मत बराबर होने की सीमा में, किसी विशेष बैठक की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(च) चयन समिति पुरस्कार श्रेणी में विजेताओं का चयन करते समय ग्रामीण और शहरी दोनों दिवांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व और समान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी।

(छ) राष्ट्रीय चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

2.5. चयन के लिए मानदंड-

2.5.1 श्रेणी I के लिए - व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

(i) सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन - 6 पुरस्कार (पुरुष के लिए 3 और महिला के लिए 3) होंगे।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत किसी भी निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खुला है और किसी भी क्षेत्र या गतिविधि में लगे हुए हैं अर्थात् शिक्षा / स्वास्थ्य / रोजगार / कला और संस्कृति / खेल / रचनात्मक कार्य / दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार / सामाजिक सेवा / आदि - जो असाधारण रूप से एक रोल मॉडल हो सकते हैं।

(ii) श्रेष्ठ दिव्यांगजन - निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक में 2 पुरस्कारों (पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 1) के साथ अधिकतम 10 पुरस्कार होंगे:

क) गतिविषयक-गतिमान, पेशीय अक्षमता, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, ठीक हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क पक्षाघात

ख) दृष्टिबाधित-अंधापन, कम दृष्टि

ग) श्रवणबाधित-बधिर, सुनने में कठिन, भाषण और भाषा दिव्यांगता

घ) बौद्धिक दिव्यांगता- मानसिक मंदता, मानसिक व्यवहार, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार

ड) ऊपर दिए गए क्रम (क) से (घ) तक उल्लिखित अक्षमताओं को छोड़कर कोई भी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता (विकासात्मक विकार, रक्त विकार के कारण होने वाली दिव्यांगता, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, बहु दिव्यांगता

(रोजगार / स्वरोजगार, स्वास्थ्य / खेल, कला, संस्कृति ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत या रचनात्मक कार्य के कोई भी अन्य प्रकार, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण)

(रोजगार / स्वरोजगार, स्वास्थ्य / खेल, कला, संस्कृति ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत या रचनात्मक कार्य के कोई भी अन्य प्रकार, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण)

हालांकि, यदि इनमें से किसी एक या अधिक उप-श्रेणियों में उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते हैं, तो अन्य उप-श्रेणियों में अतिरिक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को पुरस्कार दिए जा सकते हैं।

उप-श्रेणी (i) और (ii) के लिए मानदंड

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	दिव्यांगता का प्रकार दिव्यांगता की सीमा क) 40% से 59% : 4 ख) 60% से 79% : 10 ग) 80% और अधिक:20	20%
(ii)	दिव्यांगता क) जन्म या बचपन से (0-6 वर्ष): 5 ख) बाद में: 2	5%
(iii)	योग्यता (अकादमिक, कौशल आदि) दिव्यांगता से पहले प्राप्त: 0 योग्यता (अकादमिक, कौशल आदि) दिव्यांगता के बाद प्राप्त: 5	5%

(iv)	गतिशीलता, आत्म-देखभाल और स्वतंत्रता आदि की सीमा। क) स्वतंत्र रूप से: 4 ख) एस्कॉर्ट/सहायक उपकरणों की मदद से: 10	10%
(v)	में ठहरना क) ग्रामीण : 10 ख) अर्ध शहरी क्षेत्र/नगर: 5 ग) महानगरीय शहर : 2	10%
(vi)	क. खेलों में भागीदारी का स्तर: भागीदारी: अंतर्राष्ट्रीय: 20, राष्ट्रीय: 10, राज्य : 5 ख) पुरस्कार: (i) अंतर्राष्ट्रीय स्तर: (स्वर्ण/चांदी/कांस्य : 10,9,8) क्रमशः (ii) पुरस्कार: राष्ट्रीय स्तर: (स्वर्ण/चांदी/कांस्य: 6,5,4) (iii) राज्य स्तर:(सोना/चांदी/कांस्य: 3, 2, 1) ग). कला, संस्कृति, संगीत, सामाजिक क्षेत्र, अकादमिक, उद्यमशीलता गतिविधियों, शिक्षण सहित अन्य क्षेत्रों में भागीदारी का स्तर) i) भागीदारी: अंतर्राष्ट्रीय: 20, राष्ट्रीय: 10, राज्य : 5 ii) पुरस्कार: (क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर: (स्वर्ण/चांदी/कांस्य : 10,9,8) क्रमशः (ख) राष्ट्रीय स्तर: (स्वर्ण/चांदी/कांस्य: 6,5,4) (ग) राज्य स्तर:3, 2, 1	50%
(vii)	किसी भी श्रेणी की दिव्यांगता में आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा के लिए स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है। ऊपर दिए गए अनुपात के साथ अंकन सांकेतिक है लेकिन कॉलम)vi) के लिए वेटेज कुल अंकों का %50 रहेगा।	

iii) श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बाल/बालिका - २ पुरस्कार (एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए)

(18 वर्ष की आयु तक दिव्यांग बच्चों के लिए खुला और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगजनों की किसी भी श्रेणी से संबंधित) – कला और संस्कृति के क्षेत्र में ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य आदि के लिए मानदंड)

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	दिव्यांगता का प्रकार दिव्यांगता की सीमा क) 40% से 59% : 4 ख) 60% से 79% : 10 ग) 80% और अधिक: 20	20%
(ii)	दिव्यांगता क) जन्म या बचपन से (0-6 वर्ष): 5 ख) बाद में: 2	5%

(iii)	योग्यता (अकादमिक, कौशल आदि) दिव्यांगता से पहले प्राप्त: 0 योग्यता (अकादमिक, कौशल आदि) दिव्यांगता के बाद प्राप्त: 5	5%
(iv)	गतिशीलता, आत्म-देखभाल और स्वतंत्रता आदि की सीमा। क) स्वतंत्र रूप से: 4 ख) एस्कॉर्ट/सहायक उपकरणों की मदद से: 10	10%
(v)	में ठहरना क) ग्रामीण : 10 ख) अर्ध शहरी क्षेत्र/नगर: 5 ग) महानगरीय शहर : 2	10%
(vi)	क. खेलों में. कला, संस्कृति, संगीत, सामाजिक क्षेत्र, अकादमिक, उद्यमशीलता गतिविधियों, शिक्षण सहित अन्य क्षेत्रों में भागीदारी का स्तर) i) भागीदारी: अंतर्राष्ट्रीय: 6, राष्ट्रीय: 3 , राज्य : 1 ii) पुरस्कार: (क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर: (स्वर्ण/चांदी/कांस्य : 12, 10, 8 (ख) राष्ट्रीय स्तर: (स्वर्ण/चांदी/कांस्य: 8,5,4 (ग) राज्य स्तर: 3, 2, 1	40%
(ix)	किसी भी श्रेणी की दिव्यांगता में आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा के लिए स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है। ऊपर दिए गए अनुपात के साथ अंकन सांकेतिक है लेकिन कॉलम)vi) के लिए वेटेज कुल अंकों का %50 रहेगा।	

iv) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति -

एक राष्ट्रीय पुरस्कार निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। व्यक्ति की श्रेष्ठता निम्नलिखित मानदंड पर निर्धारित की जाएगी:-

वह जिस संगठन में काम करता है, वह उसे उत्कृष्ट मानता है।

- क) वह पिछले 10 वर्षों में नए कार्यक्रम या सेवाओं को शुरू करने के लिए जिम्मेदार है, जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांग लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ हुआ है।
- ख) संस्थान के वेतनभोगी अधिकारी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के वेतनभोगी कर्मचारी/अधिकारी पात्र हो सकते हैं।
- ग) दिव्यांग कल्याण/पुनर्वास/शिक्षा/प्रशिक्षण आदि के क्षेत्रों में उनका योगदान उत्कृष्ट होना चाहिए।
- घ) समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए पुनर्वास मॉडल विकसित करने और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में इसे दोहराने में उनका योगदान।
- ङ) दिव्यांगजनों के कल्याण और समग्र विकास के लिए उत्कृष्ट व्यक्ति और दिव्यांगजनों के अधिकारों और समान अवसरों के बारे में समुदाय को संवेदनशील बनाना।
- च) दिव्यांगजनों के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता और कारण के लिए इसके महत्व को भी उचित महत्व दिया जाएगा।
- छ) उनके पास उत्कृष्ट व्यावसायिक उपलब्धियां हैं।

v) सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर /कर्मि -दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत - एक पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर /कर्मि को एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा।

पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने या दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में लगे हुए हैं पुनर्वास पेशेवर /कर्मि के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड होंगे:

क्र.	मानदंड	महत्व
1	दिव्यांग व्यक्तियों को दिए जाने वाले पुनर्वास की प्रकृति	20%
2	पुनर्वास योग्यता के क्षेत्र में शैक्षणिक, तकनीकी,	10%
3	व्यावसायिक उपलब्धियां शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली पुनर्वास सेवाएं	10%
4	प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं के वर्षों की संख्या	10%
5	लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या	10%
6	समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए पुनर्वास मॉडल विकसित करने और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में इसे दोहराने में उपलब्धियां।	10%
7	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	30%

vi) दिव्यांगता के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास" - एक पुरस्कार

दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने या दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्माण के लिए नए लागत प्रभावी उत्पाद के विकास के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान या तकनीकी नवाचार के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा।

(क) नवीन परियोजनाओं या प्रौद्योगिकी के लिए चयन मानदंड होंगे:

- एक उत्कृष्ट उपकरण, सहायता या अनुकूलन का विकास जो दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार प्राप्त करने या बनाए रखने और समुदाय के सामाजिक-आर्थिक जीवन में पूरी तरह से एकीकृत होने की संभावनाओं में काफी सुधार करता है; तथा
- दिव्यांग व्यक्तियों की गतिशीलता, उत्पादकता और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने में डिवाइस की प्रभावशीलता, डिवाइस की रखरखाव और इसकी पुनः प्रयोज्यता।

(ख) प्रौद्योगिकी के आसान और सबसे अधिक लागत प्रभावी अनुकूलनशीलता के मानदंड निम्नानुसार होंगे: -

क्र.	मानदंड	महत्व
1	विकास विचार/अवधारणा प्रोटोटाइप की स्थिति कामकाजी मॉडल	30
2	नवाचार नया उत्पाद वैकल्पिक	15
3	पेटेंट / लागू	10
4	लागत प्रभावशीलता / वहनीयता	10
5	आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता जोड़ना	5
6	उपयोग की सुरक्षा	5
7	व्यावसायीकरण	5
8	शिक्षा को बढ़ावा देने, गतिशीलता बढ़ाने, पहुंच को बढ़ावा देने में डिवाइस की प्रभावशीलता	10
9	प्रकाशन: जर्नल/अन्य वैज्ञानिक पत्रिका/समाचार पत्रों में प्रकाशित	10

(II) दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

1. दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, एनजीओ) - दो पुरस्कार

- (i) समग्र व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार और
- (ii) समावेशी शिक्षा या शैक्षिक संस्थानों को बढ़ावा देने और प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार जो दिव्यांग बच्चों को उच्च अध्ययन के लिए समावेशी शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं।

इस श्रेणी में पुरस्कार देने का मानदंड निम्नानुसार होगा: -

क्र.	मानदंड	महत्व
1	विभिन्न दिव्यांगजनों के लिए व्यापक सेवा शुरू की है।	10%
2	नए उपकरणों को अनुकूलित किया है।	10%
3	नई सेवाएं प्रदान की है।	15%
4	मौजूदा सेवाओं में सुधार के लिए नई रणनीतियां शुरू की हैं	10%
5	पुनर्वास में ग्राहकों का अनुसरण किया है।	5%
6	संस्थान को शिक्षा/प्रशिक्षण/पुनर्वास आदि के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	10%
7	अपने कार्य मुख्यालय में और उसके आसपास आउटरीच सेवाओं के विस्तार में संस्था का योगदान।	5%
8	दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए समुदाय की प्रेरणा, भागीदारी और भागीदारी खासकर ग्रामीण इलाकों में	10%
9	संस्थानों का चयन करते समय स्वैच्छिक कार्रवाई को उचित महत्व दिया जाएगा: स्थानीय जनता की भागीदारी और इसके लिए प्रयास दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।	5%
10	भौगोलिक क्षेत्र जिसमें संस्थान है सेवाएं उपलब्ध कराना	5%
11	दिव्यांगता की श्रेणी (श्रेणियों) जिसके लिए संस्था सेवाएं प्रदान कर रही है	5%
12	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	10%

2. दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता - एक पुरस्कार

- (i) सरकारी संगठन
- (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या स्थानीय सरकारी निकाय; और
- (iii) निजी या गैर सरकारी संगठन के तहत दिव्यांगजनों के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता;

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा:

क्र.	मानदंड	महत्व
(i)	किसी दिए गए प्रतिष्ठान में कम से कम दिव्यांग व्यक्तियों के अधीन कम से कम 10% कर्मचारी दिव्यांग हैं। (100 या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार देने वाले बड़े प्रतिष्ठान के मामले में, 10% की शर्त का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता नहीं है)	20%
(ii)	जहां कहीं आवश्यक हो वहाँ क्या मशीनरी में मामूली समायोजन/संशोधन किया गया है;	5%
(iii)	कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए क्या आवश्यक पर्यावरणीय संशोधनों को बाधा मुक्त सहित किया गया है	5%
(iv)	दिव्यांग कर्मचारियों की सेवा में समान शर्तें, समान कार्य के लिए अन्य कर्मचारियों को दी गई वेतन की दरों सहित क्या दी जाती है	10%

(v)	क्या नियुक्ताओं ने दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण समझ दिखाई है	10%
(vi)	जब आवश्यक और संभव हो, तो क्या अतिरिक्त आवास और परिवहन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं	10%
(vii)	भर्ती की गई का रुकने की दर	10%
(viii)	कर्मचारी मूल्यांकन	10%
(ix)	क्या उत्पादकता सुनिश्चित की गई	10%
(x)	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	10%

3. दिव्यांगजनों को नियुक्ति देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नियुक्ति एजेंसी – एक पुरस्कार

दिव्यांगजनों की नियुक्ति एजेंसी की श्रेणी के तहत एक राष्ट्रीय पुरस्कार होगा।

(सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों को छोड़कर)

दिव्यांगजनों की नियुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा: -

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम ५०% पंजीकृत बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार में रखा और उनमें से कम से कम ३०% महिलाएं थीं;	20%
(ii)	पिछले पांच वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या	10%
(iii)	पिछले पांच वर्षों के दौरान उनकी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ-साथ पिछले वर्ष के अंत तक उनके साथ पंजीकृत दिव्यांगों के प्लेसमेंट और उनकी अनुवर्ती कार्रवाई क्या उत्कृष्ट है;	25%
(iv)	किसी दिए गए वर्ष में ड्रॉपआउट कर्मचारियों का प्रतिशत 20% से अधिक नहीं होना चाहिए;	15%
(v)	नियोजन अधिकारी दिव्यांग व्यक्तियों की सभी श्रेणियों में नियुक्ति प्रदान करेगा और उनकी सहायता करते समय संतुलन बनयेगा	10%
(vi)	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	20%

4. सुगम्य भारत अभियान के क्रियान्वयन/बाधा मुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र/जिला

सुगम्य भारत अभियान में उत्कृष्ट कार्य और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण/काम करने की स्थिति के निर्माण के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा, आसान गतिशीलता, सुलभ शौचालय और पीने के पानी की सुविधा और सांकेतिक भाषा में निर्देश सहित कार्य स्थल और अन्य संकेतक, जो आसान आवाजाही की सुविधा प्रदान करते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को इसके समग्र कामकाजी परिवेश में एकीकृत करते हैं।

5. सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन/सूचना एवं संचार उत्पाद

चयन के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे: -

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	अच्छे संस्थागत बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराने/स्थापित करने की समग्र योजना और रणनीति और मौजूदा एक की निगरानी सहित।	10%
(ii)	(i) टर्मिनलों/डिपो/बसों की कुल संख्या (बेड़े)/विभाग के अंतर्गत बस स्टॉप।	20%

	(ii) टर्मिनल/डिपो/बसों की कुल संख्या (बेड़े)/बस स्टॉप को पूरी तरह से सुलभ बनाया गया।	
	(iii) टर्मिनल/डिपो/बसों की कुल संख्या (बेड़े)/बस स्टॉप सुलभ नहीं बनाया।	
(iii)	(i) राज्य सरकार की वेबसाइटों की कुल संख्या। (ii) वेबसाइटों की कुल संख्या जिन्हें राज्य /केंद्रीय निधि के द्वारा सुलभ बनाया गया	20%
(iv)	सूचना की पहुंच में सुधार लाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहल उदाहरण के लिए -ब्रेल में वार्षिक रिपोर्ट, सुलभ सामग्री दस्तावेजों आदि का निर्माण	25%
(v)	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है अन्यथा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य मापदंडों के बीच वितरित किया जा सकता है।	25%

6. दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम/यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजना के कार्यव्ययन में सर्वश्रेष्ठ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र/जिला

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य और चयन के मानदंड निम्नानुसार होंगे: -

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	दिव्यांगजनों को द व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त (पीडब्ल्यूडी) सहित अच्छे संस्थागत बुनियादी ढांचे की स्थापना में राज्य की समग्र योजना और रणनीति।	10%
(ii)	दिव्यांगजनों का प्रतिशत जिन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है	5%
(iii)	आईजीएनडीपीएस के तहत गंभीर बहु-दिव्यांगता वाले पहचाने गए व्यक्तियों का प्रतिशत कवरेज, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने में राज्य की उपलब्धि:-	5%
(iv)	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने में राज्य की उपलब्धि:-	10%
(v)	सरकारी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिशत:- ए। रेलिंग के साथ रैंप बी। विशेष शिक्षक/शिक्षा का स्तर प्रदान किया जा रहा है सी। स्वास्थ्य/चिकित्सा सुविधाएं डी। दिव्यांग अनुकूल शौचालय	10%
(viii)	दिव्यांगजनों के लिए राज्य क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय कुल राज्य योजना परिव्यय का %	5%
(ix)	पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले दिव्यांगजनों का प्रतिशत	5%
(x)	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	35%

7. दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के अपने राज्य में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत राज्य आयुक्त के लिए अनिवार्य किया गया है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रमों और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं तदनुसार राज्य दिव्यांगजनआयुक्त निम्नलिखित कदमों को सुनिश्चित करे :

- i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुरूप किसी भी कानून या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं के प्रावधान की पहचान, स्वप्रेरणा या अन्यथा, और आवश्यक सुधारात्मक कदमों की सिफारिश करना;
- ii) स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित करने और उन मामलों के संबंध में उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में पूछताछ करना, जिनके लिए राज्य सरकार उपयुक्त सरकार है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले को उपयुक्त अधिकारियों के साथ उठाती है;
- iii) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;
- iv) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के उपभोग को बाधित करने वाले कारकों की समीक्षा करना और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना;
- v) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना;
- vi) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना;
- vii) इस अधिनियम के प्रावधानों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- viii) दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा वितरित धन के उपयोग की निगरानी करना; तथा
- ix) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य सरकार सौंपे।

किसी भी राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य गतिविधियों को प्राप्त करने में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के प्रदर्शन की उत्कृष्टता और मान्यता को बढ़ावा देने के लिए, इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया है।

चयन के लिए मानदंड:-

क्र.	मानदंड	महत्व
(i)	दिव्यांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने और अच्छे संस्थागत बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए समग्र योजना और रणनीति।	20%
(ii)	पिछले 3 वर्षों के दौरान पंजीकृत और निपटाए गए दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतें	20%
(iii)	दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर राज्य के अधिकारियों के साथ उठाए गए कदम/समन्वय जिसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना/यूडीआईडी/आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम/नियमों का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं।	20%
(iv)	दिव्यांगता अधिकारों, पुनर्वास, दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रसार के लिए सम्मेलन/कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित/आयोजित	10%
(v)	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	30%

8. पुनर्वसन पेशेवरों के विकास में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्था - एक पुरस्कार

कई सरकारी संस्थान/एनजीओ, केंद्रीय/राज्य मुक्त विश्वविद्यालय व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक और परास्नातक एम.फिल, और पीएचडी स्तर से भारतीय पुनर्वास परिषद

द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाने में लगे हुए हैं। दिव्यांग, विशेष शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ावा देना और इस तरह देश में पुनर्वास पेशेवरों / कर्मियों का एक पूल बनाना। उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और प्रदर्शन को मान्यता देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई है।

चयन के लिए मानदंड:-

क्रमांक	मानदंड	महत्व
(i)	दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली पुनर्वास सेवा की प्रकृति	10%
(ii)	व्यावसायिक उपलब्धियां (शैक्षणिक और तकनीकी)	10%
(iii)	दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के वर्षों की संख्या	15%
(iv)	पुनर्वासित दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या	20%
(v)	पुनर्वास कौशल के उन्नयन के लिए सम्मेलन/कार्यशालाओं, सेमिनारों में भाग लिया/आयोजित/आयोजित किया गया।	15%
(vi)	राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्राप्त पुरस्कार/प्रशंसा	10%
(vii)	स्क्रीनिंग कमेटी कोई अन्य मूल्यांकन मानदंड तैयार कर सकती है जो आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है	20%

4. प्रत्येक वर्ष पालन की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर

पुरस्कारों के संबंध में प्रत्येक वर्ष की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर अनुलग्नक में दिया गया है।

5. पुरस्कारों की प्रस्तुति:

- पुरस्कार हर साल 3 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसे "दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया गया है
- पुरस्कार विजेताओं और एक एस्कॉर्ट के रहने और रहने का खर्च दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।
- पुरस्कार समारोह के एक दिन पहले और बाद के यात्रा व्यय और आवास की व्यवस्था की जाएगी और व्यय की प्रतिपूर्ति दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जाएगी।
- पुरस्कार विजेताओं और उनके अनुरक्षकों की टीए/डीए स्वीकार्यता केंद्र सरकार के एक वर्ग-I अधिकारी के बराबर होगी।

किशोर बी. सुरवाड़े, उप महानिदेशक

अनुलग्नक 'ए'

व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन पत्र

(ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान आवश्यक इनपुट इन बिंदुओं पर देना होगा)

1.	1. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2. श्रेष्ठ दिव्यांगजन 3. श्रेष्ठ दिव्यांग बाल/बालिका	
----	--	--

	<p>4. दिव्यांगजनों के लिए कार्यरथ सर्वश्रेष्ठ वायक्ति</p> <p>5. दिव्यंगथा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर (पुनर्वास पेशेवर)</p> <p>6. दिव्यंगथा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास (केवल एक श्रेणी पर सही का निशान लगाएं) (एक से अधिक श्रेणी के लिए आवेदन अलग - अलग भरें)</p>	
2.	<p>नाम: - हिंदी में</p> <p>- अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)</p>	
3.	<p>पता:</p> <p>(ए) आवासीय</p>	
4.	<p>टेलीफ़ोन नंबर:</p> <p>(ए) आवासीय</p>	
5	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
6	लिंग	
7	जन्म तिथि/आयु	
8	दिव्यंगता की प्रकृति/श्रेणी	
9	दिव्यंगता का प्रतिशत (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)	
10	<p>योग्यता: दिव्यंगता का प्रतिशत (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)</p> <p>योग्यता:</p> <p>(ए) अकादमिक</p> <p>(बी) तकनीकी/पेशेवर</p> <p>दिव्यंगता की शुरुआत के बाद हासिल की गई योग्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। (प्रमाण पत्र और प्रशंसापत्र संलग्न किया जाना है)</p>	
11.	<p>इससे संबद्ध क्षेत्र या गतिविधि:</p> <p>ए) शिक्षा</p> <p>बी) स्वास्थ्य</p> <p>ग) रोजगार</p> <p>घ) कला और संस्कृति</p> <p>ई) खेल</p> <p>च) रचनात्मक कार्य</p> <p>छ) दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण</p> <p>ज) समाज सेवा</p>	

12.	<p>चाहे कर्मचारी हो या स्वरोजगार</p> <p>i) यदि कर्मचारी:</p> <p>(ए) नियोक्ता का नाम</p> <p>(बी) पद या पद धारित</p> <p>(ग) वेतनमान और आहरित वेतन</p> <p>(डी) पर लगे कार्य की प्रकृति</p> <p>ii) यदि स्वरोजगार :</p> <p>(ए) व्यापार / पेशा जिसके साथ जुड़ा हुआ है</p> <p>(बी) मासिक आय</p> <p>(ग) स्वरोजगार के रूप में खुद को पूरी तरह से आत्मसात करने की दृष्टि से आपने उस व्यापार/पेशे में अपने कौशल को कितना उन्नत किया है?</p>	
13.	<p>गतिविधि के क्षेत्र में उपलब्धियां (प्रमाण पत्र / प्रशंसा पत्र)</p> <p>ए) अंतर्राष्ट्रीय स्तर</p> <p>बी) राष्ट्रीय स्तर</p> <p>ग) राज्य स्तर</p> <p>घ) जिला स्तर</p> <p>ई) संगठन स्तर</p>	
14.	<p>पुरस्कार, पदक, सम्मान प्राप्त</p> <p>(ए) पुरस्कार का नाम</p> <p>(बी) पुरस्कार प्रदान करने वाली एजेंसी</p> <p>(सी) प्रदान करने का वर्ष</p>	
15	राष्ट्रीय पुरस्कार पर विचार के लिए कोई अन्य उपलब्धि	

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और मेरे पास उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों पर आधारित है।

(तिथि के साथ आवेदक के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक 'बी'

दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र (ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान आवश्यक इनपुट इन बिंदुओं पर देना होगा)

<p>पुरस्कार श्रेणी के लिए आवेदन किया गया:</p> <p>i) दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान</p> <p>ii) दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोजक</p> <p>iii) दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी</p>	...
--	-----

	iv) सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन/बाधा मुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला v) सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यतायत के साधन/सूचना और संचार उत्पाद सरकारी/निजी संगठन vi) दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम/यूडीआईडी एवम दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला vii) दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अपने राज्य में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ दर्शन राज्य आयुक्त दिव्यांगजन viii) पुनर्वास सेवानो प्रधान कर्णवाले पेशेवर तियार कर्णवाली श्रेष्ठ संस्था	
1.	संस्थान का नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) और हिंदी	
2.	पिन कोड के साथ संस्थान का डाक पता और टेलीफोन नंबर।	
3.	वेब-साइट/ई-मेल पता	
4.	स्थापना वर्ष	
5.	संस्था द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति	
6.	संस्थान द्वारा किए गए कार्यों का विवरण, जिसमें संस्थान द्वारा कवर किए गए स्थान और दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या शामिल है।	
7.	दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास/शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा और दिव्यांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित पिछले दस वर्षों में संस्थान की उत्कृष्ट उपलब्धियों / योगदान को निर्दिष्ट करें।	
8.	क्या संस्थान को पूर्व में कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो निर्दिष्ट करें और संक्षिप्त विवरण दें।	

संस्था के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर दिनांक सहित

अनुबंध- "सी"

प्रत्येक वर्ष की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर

क्रमांक सं.	क्रियाकलाप	दिनांक और माह
1.	राष्ट्रीय पुरस्कारों का विज्ञापन/राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर आवेदन स्वीकार करना	1 मई के बाद
2.	आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि	पोर्टल खुलने के दिन से 45 दिनों तक
3.	स्क्रीनिंग समितियों और राष्ट्रीय चयन समितियों का गठन	31 जुलाई
4.	स्क्रीनिंग समितियों की बैठक	मध्य सितंबर में
5.	राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक	अक्टूबर के प्रथम सप्ताह
6.	शॉर्ट-लिस्टेड उम्मीदवारों का सत्यापन एवं पुरस्कार विजेताओं को सूचना/पुष्टि	31 अक्टूबर
7.	राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति	3 दिसंबर

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th July, 2022

SUBJECT: GUIDELINES FOR THE NATIONAL AWARD FOR THE EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES, 2021

No. F.No. 5-2/2020-National Awards.—Empowerment of Person with disabilities is an inter-disciplinary process, covering various aspects namely, prevention, early detection, intervention, education, vocational training, rehabilitation and social integration etc. Section 24 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides formulation of schemes and programmes to safeguard and promote the rights of persons with disabilities. Further, section 39 of the said Act mandates the Government to promote awareness campaigns and sensitization programmes inter alia for advance recognition of the skills, merits and abilities of persons with disabilities and of their contributions to the work force, labour market and professional fee.

Keeping in view the spirit of the above provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the Government intends to confer National Awards in recognition of contributions/skills of persons with disabilities individually or otherwise and also in recognition of the contribution made by Individual, the Government and the private bodies in the field of empowerment of persons with disabilities.

Now, therefore, with a view to give effect to the intention of the Government to confer such National Awards, the Central Government hereby prescribes guidelines for the National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities, namely –

1(a) These guidelines may be called as “Guidelines for the National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities, 2021”.

(b) These guidelines come into force from the date of its publication in the Gazette of India.

2. Guidelines for the National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities:

2.1 Description and categories of the awards.

I. NATIONAL AWARDS FOR INDIVIDUAL EXCELLENCE-

(व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार)

No.	Category of Award	No. of Awards.	Component of Awards
1.	Sarvshresth Divyangjan (सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन) (Belonging to any field or activity i.e. Education/ Health/ Employment /Art & Culture/ Sports/ Creative work/ Empowerment of Persons with Disabilities/ Social service/ etc. - a Role Model) Open to all persons with disabilities having any of the specified disabilities under the RPwD Act.	06 (03 for Male and 03 for Female)	A certificate, a medal and Cash component of Award: Rs. 2.00 lakh to every awardee
2.	Shresth Divyangjan (श्रेष्ठ दिव्यांगजन) A Locomotor Disability (Locomotor, Muscular Disability, Dwarfism, Acid Attack Victims, Leprosy Cured, Cerebral Palsy) B Visual Impairment (Blindness, Low Vision)	10 (01 for male and 01 for Female in each category-	A certificate, a medal and Cash component of Award: Rs. 1.00 lakh to every awardee

	<p>C Hearing Impairment (Deaf, Hard of Hearing, Speech & Language disability)</p> <p>D Intellectual Disability (Mental Retardation, Mental Behavior, Specific Learning Disability, Autism Spectrum Disorder,)</p> <p>E Any specified disability except the disabilities mentioned from Sr. (A) to (D) above. (Developmental Disorder, Disability caused due to Blood Disorder, Hemophilia, Thalassemia, Sickle Cell Diseases, Chronic Neurological Conditions, Multiple Sclerosis, Parkinson's Disease, Multiple Disability)</p> <p>Note: If suitable person(s) in any one or more of the above sub-categories are not found, the awards may be given to additional person(s) in other sub-categories.</p> <p>(In the fields of employment/self-employment, health/sports, art, culture drawing, painting, music, or any other type of creative work, empowerment of PwDs,)</p>	A to E)	
3.	<p>Shresth Divyang Bal/Balika (श्रेष्ठ दिव्यांग बाल/बालिका)</p> <p>(Children with disabilities upto the age of 18 years) (belonging to any of category of specified disabilities under the RPwDAct) –</p> <p>(In the field of art & culture drawing, painting, music, or any other type of creative work etc.)</p>	02 (01 for male and 01 for female)	A certificate, a medal and Cash component of Award: Rs. 1.00 lakh to each awardee
4	<p>Divyangjano Ke Ssashaktikaran Ke Liye Karyarat Sarvshrestha Vyakti (दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति)</p>	01 Award Rs. 1.00 lakh	A Certificate, a medal and cash component of Award: Rs. 1.00 lakh
5.	<p>Divyangatha Ke Kheshta Mein Karyarath Sarvshrestha Punarvas Peshevar (Rehabilitation Professional) (दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर)</p>	01 Award Rs. 1.00 lakh	A Certificate, a medal and cash component of Award: Rs. 1.00 lakh
6.	<p>Divyangatha Ke Sashaktikaran Ke Kheshta Mein Sarvshrestha Anusandhan/ Navpravartan /Utpad Vikas (दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसन्धान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास)</p>	01 Award Rs. 1.00 lakh	A Certificate, a medal and cash component of Award: Rs. 1.00 lakh
	Total	21 Awards and 21 medals	Rs. 27 lakhs

II. National Awards for Institutions engaged in Empowering persons with disabilities

(दिव्यान्गजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत संस्थानों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार)

Sr N.	Category of Award	No. of Awards	Component of Award
1.	Divyangjanon Ke Sashaktikaran Men Karyrat Sarvshrestha Sansthan (Private organization, NGO) (दिव्यान्गजनों सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान)	02 (01 Award for providing Comprehensive Rehabilitation Services 01 Award for Inclusive Education)	A certificate and a shield to each awardees
2.	Divyangjano Ke Liye Sarvshrestha Niyoktha (Govt. organisation/ PSEs/ Autonomous bodies/ Pvt. Sector) (दिव्यान्गजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता)	01 Award	A certificate and a shield to the awardee
3	Divyangjano Ke Liye Sarvshresth Placement Agency (excluding Govt./ State Govt./Local Bodies) दिव्यान्गजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी)	01 Award	A certificate and a shield to the awardee
4	Sugamya Bharat Abhiyan Ke Karyanvayan/Badhamukta Vatavaran Ke Srijan Mein Sarvshrestha Rajya/UT/Zila (सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन/बाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला)	01 Award	A certificate and a shield to the awardee
5.	Sarvshrestha Sugamya Yatayat ke Sadhan/Soochana Ewam Sanchar Prodyogiki (Govt./Private organization) (सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी)	01 Award	A certificate and a shield to the awardee
6.	Divyangjano Ke Adhikar Adhinyam/UDID Evam Divyang Sashktikaran ki Anya Yojanaon ke Karyanvayan Mein Sarvshrestha Rajya/UT/Zila (दिव्यान्गजनों के अधिकार अधिनियम/ विशिष्ट दिव्यान्गता पहचान पत्र एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/जिला)	02 (01 Award for State/UT and 01 award for District)	A certificate and a shield to each awardee
7.	Divyangjano Ke Adhikar Adhinyam, 2016 Ke Apne Rajya Mein Karyanvayan Mein Sarvshrestha Rajya Divayngjan Aayukta (दिव्यान्गजनों के अधिकार अधिनियम के अपने राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य दिव्यान्गजन आयुक्त)	01 Award	A certificate and a shield to the awardee

8.	Punarvaas Peshewaron Ke Vikas Mein Sanlagn Sarvshrestha Sangathan (पुनर्वास सेवाओं हेतु पेशेवर तैयार करने वाली सर्वश्रेष्ठ संस्थान)	01 Award	A certificate and a shield to the awardee
9.	Additional Awards – In category (i) or in category (ii) or in both as considered appropriate by the National Selection Committee	03 Awards	(Cash component of Award of Rs. 1.00 lakh each only in the case of ‘Individual Excellence’ i.e. category (i) above. Medal or Shield as the case may
34 Awards and Rs. 33 lakhs cash component 21 medals and 10 shields.			

2.2. Procedure for inviting applications for the awards and selection of Awardees:

- (i) Applications to be submitted by eligible candidates or establishments or institutions in categories as prescribed in Para 2.1 above in the Common portal of National Awards of Ministry of Home Affairs, Govt. of India (after it becomes operational) in prescribed application form as at Annexure to these Guidelines. Applications may be submitted through self-nomination including the documents and the applicant will be solely responsible for the authenticity of the documents submitted. The Department may verify the authenticity of the documents as and when considered necessary.
- (ii) Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) shall intimate the opening of the National Awards Portal as well as the prescribed period for submission of applications through advertisement in the newspapers/web site of the Department.
- (iii) A recipient of National Award for Empowerment of Divyangjan can apply for the National Award subsequently only after 5 years.

2.3. FOR SHORT-LISTING OF APPLICATIONS BY SCREENING COMMITTEES

- (i) There shall be Screening Committees for short listing of awardees in different categories of national awards. The Screening Committees shall comprise of four to five members, including the Chairperson, out of the following:
 - a. Serving or retired officers of the rank of Joint Secretary or above of the Central Government or Officers of the reputed Government Institutions;
 - b. Eminent personalities and experts in the field of disability or expert in the relevant field of award;
 - c. Representatives of Non-Governmental Organizations;
 - d. Officers of the rank of Deputy Secretary and above of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and organizations under the Department shall act as Convener of the Screening Committees.
- (ii) The National Selection Committee shall decide the nomination of the awardees for various categories on the basis of recommendation of the Screening Committees.
- (iii) The Chairpersons & Conveners of the Screening Committees shall assist the National Selection Committee in the selection process.
- (iv) The non-official members of the National Selection Committee/Screening Committees shall be entitled to TA and DA in accordance with the financial rules and procedures as applicable in Government of India.

- (v) The awardees nominated under different categories of the national award shall be informed about date and venue of the national award function each year through Post/Telephone. The awards may be received personally by the selected individuals or representative of the institution.

2.4 National Selection Committee

- (a) The selection of the awardees shall be made on the basis of recommendations of the Screening Committees by a National Selection Committee.
- (b) The National Selection Committee shall consist of the following officials:

(i)	Union Minister of Social Justice and Empowerment	Chairperson, ex-offico
(ii)	Minister of State for Social Justice and Empowerment	Vice-Chairperson, ex-offico
(iii)	Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divangjan) M/o SJ&E	Member, ex-offico
(iv)	Chairperson, National Commission for Women,	Member
(v)	The Chief Commissioner for Persons with Disabilities	Member
(vi)	Chairperson, Rehabilitation Council of India	Member
(vii)	Chairperson, National Trust, New Delhi	Member
(viii)	Special Secretary/Additional Secretary, M/o Social Justice & Empowerment	Member
(ix)	Director, Lalit Kala Academy or his/her representative	Member
(x)	Representative of CSIR not below the rank of JS	Member
(xi)	Representative of Rehabilitation Wing of DRDO	Member
(xii)	Head of Department, Deptt. of Rehabilitation, Safdarjung Hospital, New Delhi	Member
(xiii)	Representative of Confederation of Indian Industries (CII).	Member
(xiv)	Joint Secretary/JS level Officer of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) MSJE	Convener

- (c) The National Selection Committee referred to above may select higher number of awardees in any or all the categories or sub-categories referred to in the above Table.
- (d) The Department of Empowerment of Persons with Disabilities may co-opt members to the National Selection Committee.
- (e) The decision of the National Selection Committee shall be by a majority vote and in the extent of votes on both sides being equal, the Chairperson presiding over a particular meeting shall have a casting vote.
- (f) Selection Committee while selecting the awardees in the category give due representation to both rural and urban disabled persons and shall ensure equitable regional representation.
- (g) The decision of the National Selection Committee shall be final.

2.5. Criteria for selection.

2.5.1 For Category I - National Awards for Individual Excellence

- (A) (i) **Sarvshresth Divyangjan** – There shall be 6 Awards (3 for male and 3 for female).

Open to all persons with disabilities having any of the 21 specified disabilities under the RPwD Act, 2016 and engaged in any field or activity i.e. Education/Health/Employment/ Art & Culture/Sports/Creative work/ Empowerment of Persons with Disabilities/Social service/ etc.- who may exceptionally be a Role Model).

(ii) **Shresth Divyangjan** – There shall be 10 Awards with 2 Awards (1 for male and 1 for female) in each of the following categories:-

- a) Locomotor Disability- (Locomotor, Muscular Disability, Dwarfism, Acid Attack Victims, Leprosy Cured, Cerebral Palsy)
- b) Visual Impairment-(Blindness, Low Vision)
- c) Hearing Impairment - (Deaf, Hard of Hearing, Speech & Language disability)
- d) Intellectual Disability – (Mental Retardation, Mental Behavior, Specific Learning Disability, Autism Spectrum Disorder,)
- e) Any specified disability except the disabilities mentioned from Sr. (a) to (d) above.
(Developmental Disorder, Disability caused due to Blood Disorder, Hemophilia, Thalassaemia, Sickle Cell Diseases, Chronic Neurological Conditions, Multiple Sclerosis, Parkinson's Disease, Multiple Disability)

In the fields of employment/ self-employment, health/sports, art, culture, drawing, painting, music, or any other type of creative work, empowerment of PwDs, etc.

However, if suitable person(s) in any one or more of the above sub-categories are not found, the awards may be given to additional person(s) in other sub-categories.

Sl. No.	Criteria	Weight
(i)	Type of Disability Extent of Disability a) 40% to 59% :04 b) 60% to 79% : 10 c) 80% and above : 20	20%
(ii)	Disability a) By birth or early childhood (0-6) years): 5 b) Subsequently : 2	05%
(iii)	Education/Qualification acquired before getting disability: 0 Qualification with & after having disability: 5	05%
(iv)	Extent of mobility, self-care and independence etc. a) Independently: 4 b) With the help of escort/assistive device: 10	10%
(v)	Staying in a) Rural: 10 b) Urban areas/Towns: 5 c) Metropolitan Cities : 2	10%
(vi)	A. Level of participation in sports or any other activity a) Participation: International: 20, National :10, State level: 5 b) Awards: i) International level (Gold, Silver, Bronze): 10,9,8 respectively, ii) National level:	50%

	<p>(Gold, Silver, Bronze): 6, 5, 4 respectively.</p> <p>iii) State level</p> <p>(Gold, Silver, Bronze): 3, 2, 1 respectively.</p> <p>B. Level of participation in other fields/ initiatives including, arts, culture, music, social sector, academics, entrepreneurial activities teaching etc.</p> <p>i) Participation: International:20, National 10, State :5</p> <p>ii) Awards</p> <p>a): International level (Gold, Silver, Bronze): 10,9,8 respectively,</p> <p>b) National level: (Gold, Silver, Bronze): 6, 5, 4 respectively.</p> <p>c) State level (Gold, Silver, Bronze): 3, 2, 1 respectively.</p>	
(vii)	For facilitation of shortlisting of applicants in any category of disability the Screening Committee may devise any other assessment parameter. Marking with ratios as given above are indicative but weightage for Col. (vi) will remain 50% of the total marks.	

iii) Shresth Srijansheel Divyang Bal/Balika – 2 Awards (one for male and one for female)

(Open to Children with disabilities upto the age of 18 years and belonging to any of category of specified disabilities under the RPwD Act, 2016) – In the field of art & culture drawing, painting, music, or any other type of creative work etc.)

Sl. No.	Criteria	Weight
(i)	Type of Disability Extent of Disability a) 40% to 59% : 04 b) 60% to 79% : 10 c) 80% and above : 20	20%
(ii)	Disability a) By birth or early childhood (0-6) years): 5 b) Subsequently : 2	05%
(iii)	Education/Qualification acquired before getting disability: 0 Qualification with & after having disability: 5	05%
(iv)	Extent of mobility, self-care and independence etc. a) Independently: 4 b) With the help of escort/assistive device: 10	10%
(v)	Staying in a) Rural: 10	10%

	b) Urban areas/Towns: 5 c) Metropolitan Cities : 2	
(vi)	A. Level of participation in sports or Arts, Culture, Music, social sector, or any other creative activity i) Participation: International: 6, National :3, State level: 1 ii) Awards: a) International level (Gold, Silver, Bronze):12,10,8 respectively, b) Awards National level: (Gold, Silver, Bronze): 8, 5,4 respectively. iii) State level (Gold, Silver, Bronze): 3,2,1 respectively.	50%
(vii)	For facilitation of shortlisting of applicants in any category of disability the Screening Committee may devise any other assessment parameter. Marking with ratios as given above are indicative but weightage for Col. (vi) will remain 50% of the total marks.	

iv) Sarvshrestha Vayakti– Divyangjano Ke Sashaktikaran Ke Liye Karyarath – One National Award shall be given to individuals working for the cause of the persons with specified disabilities. eminence of individual shall be determined on the following basis:-

The organization in which he/she works considers him/her as outstanding:

- He/she has been responsible for initiating new program or services in the last 10 years resulting in benefiting the people with disabilities particularly in rural areas.
- Paid officers of the Institution shall not be eligible for selection. However, paid workers/officers of the NGOs working for the cause of the disabled could be eligible.
- His/her contribution should be outstanding in the areas of disabled welfare/rehabilitation/ education/training etc.
- His/her contribution in developing rehabilitation model for Community Based Rehabilitation and replicating the same in the inaccessible rural areas.
- Outstanding person championing the welfare and overall development of the disabled and sensitizing the community regarding rights and equal opportunities for the disabled.
- The quality of the work performed by the individual in the cause of the disabled and its significance for the cause shall also be given due weight- age.
- He/she has outstanding professional achievements to his/her credit.

v) Sarvshrestha Punarvaas Peshevar (Rehabilitation Professional/ Worker) – Divyangatha Ke Kheshttra Mein Karyarath – One Award

(One National Award shall be given to the best Rehabilitation Professional/Worker engaged in providing rehabilitation services or empowerment of persons with disabilities):-

Sr	Item	%age
1	Nature of Rehabilitation given to Persons with Disabilities	20%
2	Academic, Technical, Professional achievements in the field of rehabilitation qualifications	10%
3	Rehabilitation services provided in urban or rural areas	10%

4	No. of years of rehabilitation services provided	10%
5	Total number of persons benefitted	10%
6	Achievements in developing rehabilitation model for Community Based Rehabilitation and replicating the same in the inaccessible rural areas.	10%
7	Screening Committee may devise any other assessment parameter which may facilitate short-listing of applicants	30%

vi) **Sarvshrestha Anusandhan/ Navpravartan /Utpad Vikas - Divyangatha Ke Sashaktikaran Ke Kshashtra Mein – One Award**

One National Award shall be given to the best research or technological innovation aimed at improving the life of persons with disabilities or the development of new cost-effective product for manufacture aimed at improving the life of persons with disabilities. The selection criteria for

a) The innovative projects or technology shall be:

- Development of an outstanding device, aid or adaptation which substantially improves the chances of the persons with disabilities in receiving education, obtaining or retaining employment and in being totally integrated in the socio-economic life of the community; and
- The effectiveness of the device in increasing the mobility, productivity and employment prospects of the persons with disability, maintainability of the device and its reparability.

b) The criteria for easy and most cost-effective adaptability of technology shall be as follows:

The criteria for easy and most cost-effective adaptability of technology shall be as follows:-

Sr.No.	Evaluation criteria	Maximum marks
1	State of Development idea/Concept prototype working model	30%
2	Innovation New Product Alternative	15%
3	Patented/Applied	10%
4	Cost Effectiveness/affordability	10%
5	Adding import substitution and self reliance	5%
6	Safety of use	5%
7	Commercialization	5%
8	Effectiveness of device in promoting education, enhancing mobility, promoting accessibility	10%
9	Publication: Journal/Other scientific magazine/published in newspapers	10%
		100

B. National Awards for Institutions engaged in Empowering Persons with Disabilities

1. Divyangjanon ke Sashktikaran Hetu Sarvshrestha Sansthan (Private organization, NGO) –Two Awards

- i. One Award for providing holistic comprehensive Rehabilitation Services; and
- ii. One Award for promoting and imparting Inclusive Education or educational institutions that are preparing children with disabilities for inclusive education for higher studies.

The criteria for giving awards in this category shall be as under:-

Sl.No.	Criteria	Weight
(i)	Has started comprehensive service for people with various disabilities.	10%
(ii)	Has adapted new equipments.	10%
(iii)	Has provided new services.	15%
(iv)	Has undertaken new strategies for improving existing services	10%
(v)	Has followed-up the clients in rehabilitation.	5%
(vi)	The Institution should have at least 10 years' experience in the field in the area of education/training/ rehabilitation etc.	10%
(vii)	The contribution of the institution in extension of outreach services in and around its working headquarters.	5%
(viii)	Motivation, involvement and participation of community for rehabilitation of the disabled particularly in rural areas	10%
(ix)	While selecting the institutions due weight age would be given to voluntary action through participation of local public and efforts for rendering rehabilitation services to the persons with disabilities.	5%
(x)	The geographical area in which the Institution is providing services	5%
(xi)	The category(ies) of disability for which the institution is providing services	5%
(xii)	Screening Committee may devise any other assessment parameter which may facilitate short-listing of applicants	10%

2. Divyangjano Ke Liye Sarvshrestha Niyoktha – One Award

(a) The outstanding employers of the disabled under

- (i) Government organization;
- (ii) Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Local Government Body; and
- (iii) Private or Non Governmental Organization; shall be assessed on the basis of the following criteria:-

Sl. No.	Criteria	Weightage
(i)	That at least 10% of the employees are disabled subject to a minimum of disabled persons in a given establishment. (In case of large Establishment employing 100 disabled persons or more, the condition of 10% need not be rigidly adhered to)	20%
(ii)	That wherever necessary minor adjustment/ modifications in the machinery have been made;	5%
(iii)	That necessary environmental modifications at the worksite have been made including barrier free access;	10%
(iv)	That the employees with disabilities are offered the same conditions in service, including the rates of pay as given to other employees for similar work;	15%
(v)	That the employers have shown sympathetic understanding of the problems of the disabled	5%

(vi)	That when necessary and feasible, such additional facilities such as accommodation and transport etc, are provided	5%
(vii)	Retention rate	10%
(viii)	Employees assessment	10%
(ix)	Productivity ensured	10%
(x)	Screening Committee may devise any other assessment parameter which may facilitate shortlisting of applicants	10%

There shall be one National Award under the category of placement agency of person with disabilities (excluding Government/State Government/local bodies). The best placement agency for placement of persons with disabilities shall be assessed on the basis of the following criteria:-

3. Divyangjano Ke Liye Sarvshrestha Placement Agency – One Award

Sl. No.	Criteria	Weightage
(i)	Placed at least 50% registered unemployed disabled persons in employment during the last five years and that at least 30% of them were women;	20%
(ii)	Total number of persons with disabilities placed during the last five years	10%
(iii)	His/her follow-up during the last five years coupled with placements of the people registered with him/her up to the end of the last year is outstanding;	25%
(iv)	The percentage of dropout employees should not exceed 20% in a given year;	15%
(v)	The placement officer shall provide placement to all categories of disabled persons and maintain a balance amongst them while assisting for placement.	10%
(vi)	Screening Committee may devise any other assessment parameter which may facilitate short-listing of applicants	20%

4. Sugamya Bharat Abhiyan Ke Karyanvayan/Badhamukta Vatavaran Ke Srijan Mein Sarvshrestha Rajya/ UT/ Zila

One award shall be given for the outstanding work in Sugamya Bharat Abhiyan and creation of barrier free environment/working condition for the persons with disabilities, the working place with easy mobility, toilet facilities and directions in the sign language and other indicators, which facilitate easy movements and integrate the persons with disabilities in its overall working milieu.

Sr. No	Criteria	Weightage
1.	i) Total number of Public buildings in the State* ii) Total Number of Public buildings* identified for creation of barrier free environment. iii) Total number of public buildings out of the above made accessible from Accessible India Campaign funds. * Offices, Cinema Halls, Theatre, Parks, Hospitals, Museums, Police Stations, Tourists places, Monuments, Educational Institutes, Banks, Post offices, ATMs, Commercial Complexes, Market places, Streets, Libraries, Courts etc.	15%
2.	i) Total number of cost estimates sent to the Department of Empowerment of Persons with Disabilities	15%

	ii) Total number of buildings for which funds have been given and utilized. (financial year- wise details to be given beginning 2015-16 onwards)	
3	Total number of buildings retrofitted with following details:- a) Accessible Parking with marking as per accessibility standards b) Accessible route connecting parking to alighting point c) Tactile tiles/pavers from parking to main accessible entrance and till rooms d) Accessible reception counter e) Accessible entrance/doors/corridors f) Ramps – wherever there are level differences or lifts absent g) Accessible lift h) Signage (audio-visual) conspicuously placed i) Accessible toilet at each floor j) Accessible staircase (color contrasting strip and Continuous handrails.	30%
4.	i) Total number of buildings made accessible from state funds. ii) Other important initiatives taken up improve accessibility of public buildings.	20%
5.	Screening Committee may devise any other assessment parameter which may facilitate short-listing of applicants	20%

5. Sarvshrestha Sugamya Yatayat Ke Sadhan/Soochana Evam Sanchar Prodyogiki

The criteria for selection shall be as under:-

Sl.No.	Criteria	Weightage
(i)	Overall planning and strategy in providing/setting up good Institutional infrastructure including monitoring of the existing one.	10%
(ii)	(i) Total number of Terminals/Depots/ buses (fleet)/bus Stops under Department. (ii) Total number of Terminal/Depots/Buses (fleet)/bus Stops fully made accessible. (iii) Total number of Terminal/Depots/Buses (fleet)/bus Stops not accessible	20%
(iii)	(i) Total number of state government websites. (ii) Total numbers of websites identified and made accessible from Accessible India Campaign fund. (iii) Total numbers of websites made accessible from state funds	20%

(iv)	Other important initiatives taken up to improve accessibility of information example – annual reports in Braille, accessible content creation of documents etc.	25%
(v)	Screening Committee may devise any other assessment parameter which may facilitate shortlisting of applicants	25%

6. Divyangjano Ke Adhikar Adhiniyam/ UDID Evam Divyang Sashktikaran ki Anya Yojanaon Ke Karyanvayan Mein Sarvshrestha Rajya/UT/Zila

Outstanding work in empowerment of persons with disabilities and the criteria for selection shall be as under:

Sl. No.	Criteria	Weightage
(i)	Overall planning and strategy of the state in providing comprehensive rehabilitation services to the persons with disabilities and setting up good Institutional infrastructure including state commissioner for persons with disabilities (PwDs).	10%
(ii)	Percentage of persons with disabilities who have been issued disability certificates	5%
(iii)	Percentage coverage of identified persons with severe multiple disabilities under IGNDPS	5%
(iv)	Achievement of State in implementing Central Sector Schemes:	10%
(v)	Percentage of government elementary secondary schools having: <ul style="list-style-type: none"> (a) Ramps with railings (b) Special teachers (c) Disabled friendly toilets 	10%
(vi)	PwDs who have been placed in Government jobs against the stipulated 3% quota for them	10%
(vii)	Special efforts made to provided barrierfree environment in public spaces/Implementation of AIC	5%
(viii)	Expenditure on State Sector schemes for PwDs as % of the total State Plan Outlay	5%
(ix)	Percentage of PwDs provided vocational training during last five years	5%
(x)	Screening Committee may devise any other assessment parameter which may facilitate short-listing of applicants	35%

7. Divyangjano Ke Adhikar Adhiniyam 2016 Ke Apne Rajya Mein Karyanvayan Mein Sarvshrestha Rajya Aayukta Divyangjan

Under the RPwD Act, 2016, State Governments /UT Administrations have been mandated to take forward programmes and policies for empowerment of persons with disabilities. The State Commissioner, Persons with Disabilities is accordingly take the steps:

- i. Identify, suo motu or otherwise, provision of any law or policy, programme and procedures, which are in consistent with the RPwD Act, and recommend necessary corrective steps;

- ii. inquire, suo motu or otherwise deprivation of rights of persons with disabilities and safeguards available to them in respect of matters for which the State Government is the appropriate Government and take up the matter with appropriate authorities for corrective action
- iii. review the safeguards provided by or under the Act or any other law for the time being in force for the protection of rights of persons with disabilities and recommend measures for their effective implementation;
- iv. review the factors that inhibit the enjoyment of rights of persons with disabilities and recommend appropriate remedial measures undertake and promote research in the field of the rights of persons with disabilities;
- v. promote awareness of the rights of persons with disabilities and the safeguards available for their protection;
- vi. monitor implementation of the provisions of this Act and schemes, programmes meant for persons with disabilities;
- vii. monitor utilisation of funds disbursed by the State Government for the benefits of persons with disabilities; and perform such other functions as the State Government may assign.

In order to promote excellence and recognition of performance of a State Commissioner for Persons with Disabilities in achieving the mandated activities under the RPwD Act, 2016 in any State/UT, a National Award has been instituted for the purpose.

Criteria for selection:-

Sl.No.	Criteria	Weightage
(i)	Overall planning and strategy in providing comprehensive rehabilitation services to the persons with disabilities and setting up good Institutional infrastructure.	20%
(ii)	Grievances of persons with disabilities registered and disposed off during the last 3 years	20%
(iii)	Steps taken/Coordination with the State authorities on issues concerning persons with disabilities including issuance of disability certificates/ UDID/Implementation of RPwD Act/Rules etc.	20%
(iv)	Conference/Workshops, seminars organized/conducted in disseminating disability rights, rehabilitation, economic empowerment of persons with disabilities	10%
(v)	Screening Committee may devise any other assessment parameter which may facilitate shortlisting of applicants	30%

8. Punarvasan Peshewaron Ke Vikas Mein Sanlagn Sarvshrestha Sangathan – One Award

Criteria for selection:

Sl.No.	Criteria	Weightage
(i)	Nature of Rehabilitation service provided to persons with disabilities	10%
(ii)	Professional achievements (Academic & Technical)	10%
(iii)	No. of Years of providing rehabilitation services to persons with disabilities	15%
(iv)	Total number of persons with disabilities rehabilitated	20%
(v)	Conference/Workshops, seminars attended/organized/conducted for upgradation of rehabilitation skills.	15%

(vi)	Awards/appreciation received at the National/State levels	10%
(vii)	Screening Committee may devise any other assessment parameter which may facilitate short-listing of applicants	20%

4. CALENDAR OF ACTIVITIES TO BE FOLLOWED EACH YEAR

The calendar of activities to be followed each year with regard to the awards is given at Annexure- C.

5. PRESENTATION OF AWARDS:

- (i) The awards will be presented in New Delhi on 3rd December, every year which has been declared as the “International Day of Persons with Disabilities”.
- (ii) The boarding and lodging expenses of the awardees and one escort shall be borne by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment.
- (iii) To and fro travelling expenses and accommodation for up to one day prior and after the day of awards ceremony shall be arranged and the expenditure shall be reimbursed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment.
- (iv) The TA/DA admissibility of the awardees and their escorts shall be equivalent to a Class-I officer of the Central Government.

KISHOR B. SURWADE, Dy. Director General

Annexure ‘A’

Application form for National Awards for individual excellence

(Input needed on points during filling up the application form online)

1.	Category of Award	
	1. Sarvshresth Divyangjan	
	2. Shresth Divyangjan	
	3. Shresth Divyang Bal/Balika	
	4. Divyangjano Ke Liye Karyarath Sarvshrestha Vyakti	
	5. Divyangatha Kay Keshtra Mein Sarvshrest Punarvas Pesheyvar (Rehabilitation Professional)	
	6. Divyangatha Ke Keshtra Mein Sarvshrestha Anusandhan/Navpravartan/Utpad Vikas	
	(Tick mark only one category) (Separate application if to apply for more than one)	
2.	Name:	
	(a) in English (in BLOCK Capital letters)	
	(b) in Hindi	
3.	Address:	
	(a) Residential	
	(b) Office	

4.	Telephone numbers: (a) Residential (b) Office	
5.	E-mail address, if any	
6.	Sex	
7.	Date of Birth/Age	
8.	Nature/Category of disability	
9.	Percentage of disability(Certificate of competent authority to be attached)	
10	Qualification: (a)Academic (b) Technical/Professional Qualifications acquired after onset of disability should be clearly indicated. (Certificate and testimonial should be attached)	
11.	Field or Activity associated with: a) Education b) Health c) Employment d) Art & Culture e) Sports f) Creative Work g) Empowerment of Persons with Disabilities h) Social Service	
12.	Whether employee or self- employed i) If employee : (a) Name of the Employer (b) Designation or Post held (c) Scale of pay and salary drawn (d) Nature of work engaged on ii) If self-employed : (a) Trade/Profession with which associated (b) Monthly Income (c) How far you have upgraded your skill in that trade/profession with a view to absorb yourself fully as a self-employed?	
13.	Achievements (Certificates/Appreciation letters) in the field of activity at the a) International level b) National Level c) State level d) District level e) Organisation level	

14.	Awards, Medals, honours received (a) Name of the Award (b) Conferring Agency (c) Year of conferment	
	Any other achievement for consideration of the National Award	

It is certified that the information furnished above is correct and based on facts and records available with me.

(Signature of the Applicant with date)

Annexure 'B'

Application form for National Awards for Institutions engaged in Empowering Persons with Disabilities

(Input needed on points during filling up the application form online)

1	Award Category applied for:	
i)	Divyang Sashaktikaran Hetu Sarveshrestha Sansthan	
i)	Divyangao Ke Liye Sarvshrestha Niyoktha	
ii)	Divyangao Ke Liye Sarvshresth Placement Agency	
iii)	Sugamya Bharat Abhiyan Kay Karyanvayan/Badhamukta Vatavaran Kay Srijan Mein Sarvshrestha Rajya/UT/Zila	
iv)	Sarvshrestha Sugamya Yatayat ke Sadahan/Soochana Evam Sanchar Prodyogiki Govt./Private organisation	
v)	Divyangjano Ke Adhikar Adhiniyam/UDID Avem Divyang Sashktikaran ki Anay Yojanaon kay Karyanvayan Mein Sarvshrestha Rajya/UT/Zila	
vi)	Divyangjano Ke Adhikar Adhiniyam, 2016 Ke Apne Rajya Mein Karyanvayan Mein Sarvshrestha Rajya Divayngjan Aayukta	
vii)	Punarvas Sevayano Pradhan Karnewaley Pesheyvar Taiyar Karne wali Shresth Sanstha	
(Tick mark only one category of award)		
(Separate application if to apply for more than one)		
1	Name of the Institution in English (In BLOCK Capital letters) and Hindi	
2.	Postal address of Institution with Pin Code and telephone number.	
3.	Web-site/E-mail address	
4.	Year of establishment	

5.	Nature of work undertaken by the Institution	
6.	Details of work done by the Institution including places and the number of disabled persons covered by the Institution.	
7.	Specify the outstanding achievements/ Contribution of the Institution in the Past ten years in the area of welfare of persons with disabilities and rehabilitation/ education including technical education and vocational training to persons with disabilities.	
8.	Whether Institution have received any Award in the past. If so, specify and give brief account.	

Signature of President/Secretary of the Institution with date

ANNEXURE-C

CALENDER OF ACTIVITIES TO BE FOLLOWED EACH YEAR

(From 2022 onwards)

S.No.	Activities	Date and Month
1.	Advertisement of National Awards/Opening of National Awards Portal	After 1 st May
2.	Last date of receipt of applications/	45 Days from the date of opening of portal
3.	Constitution of Screening Committees and National Selection Committees	31st July
4.	Meetings of the Screening Committees	By middle of September
5.	Meeting of the National Selection Committee	After 1st week of October
6.	Verification of short-listed candidates Information/ confirmation to awardees	31st October
7.	Presentation of National Awards	3rd December